संविधान

भाग - 22 **अनुच्छेद = 395** **अनुसुची-12**

अनुसुची - (1) भारत राज्यों का संघ (Union)

(2) वेतन

(3) शपथ

(4) राज्य सभा में Seat

(5) SC/ST

(6) पुर्वोत्तर के 4 राज्य → असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम

(7) शक्ति का विभाजन

संघ (केन्द्र)	राज्य सुची	समवर्ति (केन्द्र+राज्य)	अवशिष्ट
100 विषय	66–61	47–52	_____
→ सेन	→ कृषि	→ शिक्षा	→ Cyber
→ जनगणना	→ Police	→ नियोजन	→ अंतरिक्ष
→ Bank	→ प्रशासन	→ मजदुर	→ परमाणु उर्जा
→ रेल		→ परिवार नियोजन	

(8) भाषा = 22

(9) भुमि सुधार (जमीनदारी उन्मुलन)

(10) पंचायत

(12) नगर पालिका

भाग- (1) संघ एवं राज्य क्षेत्र (अनु॰ 1 - 4)

अनुच्छेद (1) संघ राज्य का क्षेत्रफल

(2) संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है (सिक्किम = 16 May, 1975)

(3) संसद किसी राज्य की सिमा परिवर्तन (J & K झारखंड)

(4) अनुच्छेद 3, 4 में राष्ट्रपतिहस्त क्षेप नहीं करेंगे।

→ भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहला आयोग S.K. घर आयोग इसने भाषाई राज्यों का विरोध किया।

→ भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र-प्रदेश

→ भाषाई राज्यों को मान्यता फजल अली (14 = राज्य, 6 = केन्द्रशासित)

भाग (2) नागरिकता (5 ——11)]

→ भारत में एकहरी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है।

→ नागरिकता कानुन संसद (गृह मंत्रालय) बनाती है।

अनुच्छेद 8 — विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी।

अनुच्छेद 9 — विदेशी नागरिकता लेने पर भारत कि नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 10 — भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते।

अनुच्छेद 11 — नागरिकता संबंधी कानुन संसद बनाती है यह जिम्मेदारी गृहमंत्रालय को दी गई है।

→ नागरिकता लेने की 5 विधि है।

(i) वंश (ii) जन्म (iii) किसी क्षेत्र को मिलाने पर (सिक्किम) (iv) पंजीकरण (7 year) (v) देशीकरण = 10 years

भाग (3) मुल अधिकार (12 – 35)

→ मुल अधिकार USA से लिया गया, यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है अत: नैसर्गिक है।

स्थायी प्रतिबन्ध = संसद

अस्थायी निलम्बित = राष्ट्रपति

निलम्बित नहीं होगा = 20, 29

रक्षक = SC + HC

प्रकार = 6 प्रकार

हटाया गया = सम्पत्ति की अधिकार

(1) समानता = 14 – 18

(2) स्वतंत्रता = 19 – 22

(3) शोषण के विरुद्ध = 23 – 24

(4) धार्मिक = 25 – 28

(5) संस्कृति = 29 – 30

(6) सम्पत्ति = 31 ×

(7) उपचार = 32

मुल अधिकार

अनुच्छेद –

(14) विधि के समक्ष समानता

(15) जाति-धर्म-लिंग का आधार पर समानता

समानता–

(16) लोक नियोजन (नौकरी) की समानता

(17) अस्पृश्यता (छुआ-छुत) का अन्त

(18) उपाधि का अन्त

---

(19) अभिव्यक्ति, RTI, प्रेस, झण्डा, बोलने, विदेश भ्रमण

स्वतंत्रता–

(20) एक अपराध की एक सजा

(21) प्राण दैहिक, नीजता का अधिकार

(22) गिरफ्तारी से संरक्षण

शोषण के विरूध

(23) बलात श्रम बेगारी

(24) 14 वर्ष से कम बच्चा का खतरनाक काम नहीं

(25) अन्त: करण, धार्मिक स्वतंत्रता

(29) अल्प संख्यक कि रक्षा, शिक्षा, संस्कृति

(31) सम्पत्ति का अधिकार अव कानुनी अधिकार (300क)

(32) सर्वेधनिक उपचार (संविधान का आत्मा)

5 – प्रकार के रीट

- (1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण – 24 घण्टा में न्याायलय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए।
- (2) परमादेश – लापरवाह अधिकार पर।
- (3) अधिकार पृच्छा – अधिकार से अधिक कार्य करने पर
- (4) प्रतिषेध – न्यायालय की कार्यवाही रोकना।
- (5) उत्प्रेषण – न्यायालय का फैसला बदलना।

भाग (4) निति निदेशक तत्त्व (36 – 51)

- इसे आयरलैण्ड से लिया गया है।
- यह शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है।
- यह न्यायालय द्वारा प्रर्वतनीय नहीं है।
- यह न्यायालय मे वाद योग नहीं है।
- यह कल्याणीकारी तथा आर्थिक लोकतंत्र के लिए है।
- K.T शाह ने कहा है यह उस चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करता है।

अनुसुची – (39) स्त्री पुरुष को समान वेतन

(39क) नि:शुल्क विधि सहायता

(40) पंचायत

(42) प्रसुति सहायक 3 पहले 3 बाद

(44) समान सिविल संहिता

(46) SC/ST

(47) शराब पर प्रतिबंध

(48) कृषि पशुपालन, पशुहत्या

(49) राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा

(50) कार्यपालिका – न्यायपालिका

(51) अन्तराष्ट्रीय शान्ति

भाग (4) (क) मुल कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51 (क))

- प्रारम्भ में मुल कर्त्तव्य = 0

42 वां (1976) द्वारा = 10 कर्त्तव्य (सरदार स्वर्ण सिंह समिति)

86 वां (2002) द्वारा = 1 अभिभावक 22क

11 मुल कर्त्तव्य

Remark – मुल कर्त्तव्य रूस को लिया गया है। यह दण्डनीय नहीं है।

भाग (5) संघ (अनुच्छेद 52——151)

राष्ट्रपति

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
पकानि कोका दुयो दशम

अनुच्छेद - 51 : राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर एडविन लुटियन तथा वेकर्ड ने बनाया।

अनुच्छेद - 52 : राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान PM होते हैं।

अनुच्छेद - 54 : राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मण्डल द्वारा होता है जिसमें (1) लोकसभा (2) राज्य सभा (3) विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनित सदस्य तथा विधान परिषद् के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।

→ राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है।

→ जब CM विधान परिषद का होगा तो वह मतदान नहीं करे।

अनुच्छेद - 55 : राष्ट्रपति का कोटा।

अनुच्छेद - 56 : कार्यकाल 5 वर्ष का होता है यदि 5 वर्ष के पूर्व खाली हुआ तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या अन्य न्यायाधीश आयेंगे।

→ राष्ट्रपति के खाली पद को 6 माह में भरना होता है।

→ नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है न कि बचे कार्यकाल के लिए।

अनुच्छेद - 57 : एक ही व्यक्ति दुबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। Eg– राजेन्द्र प्रसाद

अनुच्छेद - 58 : योग्यता = (i) भारत का नागरिक (ii) 35 year आयु (iii) पागल या दिवालिया न हो।

अनुच्छेद - 59 : दशाए/शर्त

(1) लाभ के पद (सरकारी नौकरी) पर न हो

(2) 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक

(3) 15000 Rs जमानत राशि

Note–यदि 1/6 मत नहीं मिला तो जमानत जब्त होगी।

अनुच्छेद - 60 : राष्ट्रति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं।

अनुच्छेद - 61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, प्रारम्भ करने के लिए ¼ मत कि आवश्यकता है इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता है। दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दि जाती है यदि दुसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो महाभियोग पारित हो गया।

Note–अब तक किसी पर महाभियोग नहीं लगा। दो राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मरे-(i) जाकिर हुसैन और (ii) फखरूद्दीन

Note–अब तक तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं।

(1) वी. वी. गिरी (2) एम. हिदायतुल्ला (3) वी. डी. जति

Note–राष्ट्रपति अनु॰ 331 के तहत 2 Anglo Indian को लोक सभा में तथा अनु॰ 80 के तहत 12 सदस्यों को राज्य सभा में मनोनित कर सकते हैं।

→ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं।

Remark अनु॰ 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है जो गृह मंत्रालय के सिफारिश पर होता है।

विदेश में राजदुत की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

यदि लोक सभा में किसी को भी बहुमत न मिले (त्रिशंकु) तो किसी को भी राष्ट्रपति PM की शपथ दिला देते हैं और 30 दिन के भितर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं।

उपराष्ट्रपति

63 64 65 66 67 68 69

उसरा निका चुस

अनुच्छेद - 63 : उपराष्ट्रपति का पद U.S.A. से लिया गया है।

अनुच्छेद - 64 : उपराष्ट्रपति राज्य का सभा सभापति होता है। वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है।

→ इसके अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति का कार्य करते हैं।

अनुच्छेद - 65 : उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है।

अनुच्छेद - 66 : उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद (LS + RS) के सभी सदस्य भाग लेते हैं इसमें विधान मंडल भाग नहीं लेता।

→ **योग्यता**- (i) भारत का नागरिक (i) 35 year आयु (iii) पागल या दिवालिया न हो (iv) लाभ के पद पर न हो। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक से / 15,000 रु. जमानत राशि

अनुच्छेद - 67 : उप राष्ट्रपति का कार्य काल 5 वर्ष का होता है। यदि इससे पहले पद खाली होता, तो नया उप-राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है।

→ **महाभियोग**- उप राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्य सभा से प्रारंभ होता है प्रारंभ करने के लिए ¼ मत कि आवश्यकता है राज्य सभा 2/3 बहुमत से पारित करके लोक सभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उप-राष्ट्रपति को देते हैं। यदि लोक सभा भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उप-राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा।

अनुच्छेद - 68 : उपराष्ट्रपति के खाली पद के लिए चुनाव सिघ्र करना होता है इसके लिए निश्चित समय नहीं है।7

अनुच्छेद - 69 : उप राष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।

अनुच्छेद - 71 : राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद Suprime Court में जाता है।

अनुच्छेद - 72 : राष्ट्रपति कि क्षमादान शक्ति

अनुच्छेद - 74 : मंत्री परिषद्

अनुच्छेद - 75 : मंत्री

मंत्री परिषद्

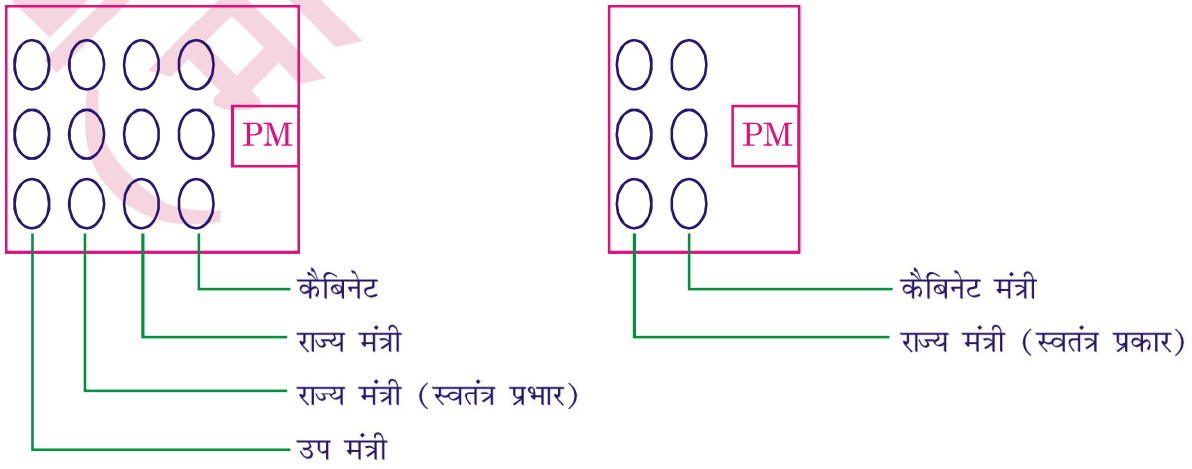

BY KHAN SIR

कैबिनेट मंत्री – यह अपने विभाग का प्रधान होता है और सभी निर्णय लेता है।

राज्य मंत्री – प्रत्येक विभाग का एक राज्य मंत्री होता है जो कैबिनेट की सहायता करता है।

राज्य मंत्री (स्वतंत्रता प्रभार) – जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहता है तो राज्यमंत्री सभी निर्णय लेता है उसे ही स्वतंत्र प्रभार कहते हैं।

उप मंत्री – यह राज्य मंत्री की सहायता करता है।

Remark – मंत्री परिषद् का अध्यक्ष PM होता है उसके मृत्यु या त्यागपत्र के बाद मंत्री परिषद् भंग होता है और नया PM अपने अनुसार पुन: मंत्री परिषद् बनाता है।

मंत्री – राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है जबकि मंत्री परिषद् लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

बिना संसद सदस्य ही 6 महिना तक मंत्री बना जा सकता है।

बहुमत गठबंधन द्वारा भी हो सकता है।

(i) U.P.A. (United Progressive Allian) = Congress के नेतृत्व में

(ii) N.D.A. (National Democrative Allion) BJP के नेतृत्व में

Remark – संविधान में उप प्रधान मंत्री की चर्चा नहीं है यह एक राजनैतिक पद है अब तक 7 उप प्रधान मंत्री बने हैं।

महान्यायवादी (Attorny General)

→ इसकी चर्चा अनु॰ 76 में है। यह केन्द्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह कानुनी सलाह देता, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है किन्तु संसद में मतदान नहीं कर सकता है।

→ यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रर्यन्त पद पर रहता है।

संसद

→ इसकी चर्चा 79 में है।

→ संसद की जननी ब्रिटेन।

→ Parliament शब्द फ्रांस से लिया गया है।

→ इसका वास्तुकार एडविन लुटियन तथा बेकर्ड थे।

→ संसद के 3 अंग होते हैं- (i) लोक सभा, (ii) राज्य सभा और (iii) राष्ट्रपति।

→ संसद के 2 अंग होते हैं- (i) लोक सभा और (ii) राज्य सभा।

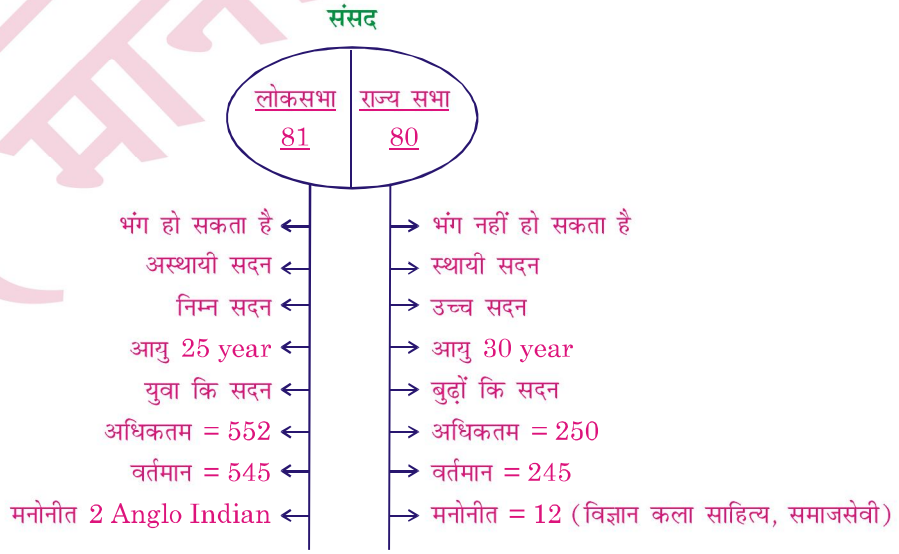

Remark :

(i) लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जबकि, राज्य सभा स्थायी सदन है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

(ii) राज्य सभा के 1/3 सदस्य 2 वर्षों पर अवकाश लेते हैं।

(iii) 10 लाख जनसंख्या पर 1 सांसद कि व्यवस्था है वर्तमान सीट 1971 की जनगणना पर आधारित है इसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा।

संसद के प्रस्ताव

→ **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव** - मंत्री का ध्यान को सार्वजनिक मुद्दे कि ओर आकर्षित करने के लिए।

→ **कार्यस्थगन प्रस्ताव** - किसी आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा के लिए।

→ **अविश्वास प्रस्ताव** - सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए/इसकी सुची 10 दिन पहले दे दिया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो सरकार गिर जाती है।

→ पहला अविस्वास प्रस्ताव J.B. कृपलानी ने 1963 में लाया था।

अनुच्छेद - 82 : प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन।

→ वर्तमान परिसिमन 1971 कि जनगणना पर आधारित है इसे 2026 तक नहीं बदला जाएगा।

→ 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद।

अनुच्छेद - 86 : राष्ट्रपति का अभिभाषण

Note–राष्ट्रपति का अभिभाषण = मंत्री मण्डल बनाता है।

राज्यपाल का अभिभाषण = सचिव बनाते हैं।

अनुच्छेद - 89 : राज्य सभा के सभापति तथा उपसभापति।

अनुच्छेद - 93 : लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपसभापति

→ अध्यक्ष के कार्य - (i) संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता (ii) धन विधेयक का निर्धारण (iii) लगातार 60 दिनां तक अनुपस्थित रहने पर आयोग

संसद के सत्र

1. बजट सत्र (Feb–May) → सबसे बड़ा।
2. मानसुन सत्र (July – Aug) →
3. शीत कालीन सत्र (Nov – Dec) → सबसे छोटा

संसद के की समितियां

1. प्राक्लन समिति = LS = 30 → सबसे बड़ी समिति

   R.S. = 0 → यह बजट तैयार करती है।

   30

3. लोक लेखा समिति = LS = 15 → यह धन कि जाँच करती है।

   RS = 7 → इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है।

   22 → इसे प्राक्लन की जुड़वा बहन कहते हैं।

3. सरकारी उपक्रम समिति = LS = 15 → यह सरकारी कम्पनी के प्रगति की जाँच करती है।

RS = 7/22

संसद की प्रक्रिया

1. **प्रश्न काल (11–12) =** यह संसद का पहला घण्टा होता है जिसमें तरांकित प्रश्न (मौलिक) तथा अतरांकित प्रश्न (लिखित) पुछे जाते हैं।
2. **शुन्य काल (12–1) =** यह संसद का दुसरा घण्टा होता है इससे कोई नियम कानुन नहीं लागू होता है।

अनुच्छेद - 100 : गणपुर्ति अर्थात 1/10 सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य है।

अनुच्छेद - 108 : दोनों सदनों में विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

अनुच्छेद - 110 : धन विधेयक की परिभाषा/धन विधेयक पहले लोक सभा में जाता है। इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होता है।

अनुच्छेद - 111 : विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमती

अनुच्छेद - 112 : बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)

अनुच्छेद - 114 : विनियोग जब तक सांसद विनियोग विधेयक पारित नहीं कर देती तब तक घन नहीं निकलता इसी कारण सांसद को राष्ट्र कोष (धन) का रक्षक कहते हैं।

अनुच्छेद - 117 : वित्त विधेयक

अनुच्छेद - 123 : राष्ट्रपति का अध्यादेश

→ इसक अधिकतम अविध 6 माह होती है किन्तु यह सत्र प्रारम्भ हो जाए तो 42 दिन रहती है। राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकते हैं।

→ अध्यादेश मंत्री के सलाह पर आता है इसे कितनी बार भी लाया जा सकता है।

Suprime Court / सर्वोच्च / उच्चतम-न्यायालय

→ SC को U.S.A. से लिया गया है अनु॰ 124 के तहत चर्चा।

→ योग्यता- (i) HC में 10 साल वकील
(ii) HC में 5 साल जज
(iii) राष्ट्रपति के नजर में कानुन का अच्छा जानकार

→ 29 + 2 = 31 जज

→ कार्यकाल 65 year आयु

→ जजों की नियुक्ति कोलोजियम द्वारा होती है क्लोजियम में SC के 5 senior जज होते हैं।

→ इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लाना होता है।

अनुच्छेद - 127 : Ad–hoc / तदर्थ - इसका अर्थ होता है "इसके कार्य के लिए"

✦ जब SC में जजों की संख्या में कमी आती है तो HC से जज अस्थायी जज लाये जाते हैं। इन्हें Ad-hoc कहते हैं।

अनुच्छेद - 131 : SC में आरम्भिक अधिकारित अर्थात् वैसे मुकदमा जो केवल SC में ही सुलझाये जाते हैं।

Eg– (i) केन्द्र-राज्य विवाद (ii) राज्य राज्य विवाद

अनुच्छेद - 137 : न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात् न्यायालय अपने फैसले को बदल सकती है।

Remark – संवैधानिक मामले पर 5 जज को होना अनिवार्य है केशवानन्द विवाद = 13 जज गोलकनाथ विवाद-11 जज

अनुच्छेद - 143 : SC के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं किन्तु उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है।

अनुच्छेद - 148 : नियंत्रक एवं महालेख परिक्षक यह केन्द्र तथा राज्य दोनों के खर्च (लेखा) की जाँच करता है।

→ यह 65 years आयु या 6 वर्ष कार्य काल तक रहता है इसे हटाने के लिए महाभियोग लेना होता है।

राज्यपाल

अनुच्छेद - 153 : राज्यपाल का पद,

→ यह Caneda से आया है। एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।

→ राज्यपाल की नियुक्ति PM की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं।

→ राज्यपाल उस राज्य की निवासी नहीं होना चाहिए।

→ राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय की कुलधिपती होते हैं।

→ राज्यपाल को शपथ H.C. का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।

अनुच्छेद - 161 : इस अनु॰ के द्वारा राज्यपाल मृत्यु दण्ड को छोड़कर शेष दण्ड को माफ कर सकता है।

अनुच्छेद - 164 : मुख्यमंत्री की नियुक्ति की चर्चा है।

अनुच्छेद - 165 : राज्य सरकार का विधि अधिकारी महाधिवक्ता (Advocate General) होता है यह सदन में मतदान नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद - 168 : विधान मण्डल, इसके दो सदन होते हैं विधान सभा, विधान परिषद् इसके तीन अंग होता है विधान सभा, विधान परिषद्, राज्यपाल

अनुच्छेद - 170 : विधान सभा

अनुच्छेद - 171 : विधान परिषद्

विधान मण्डल- (168)

BY KHAN SIR (मानचित्र विशेषज्ञ)

→ **राज्य सभा की संरचना**

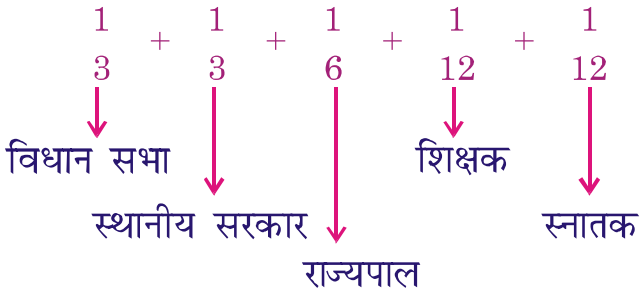

अनुच्छेद - 202 : राज्य का बजट

अनुच्छेद - 213 : राज्यपाल का अध्यादेश

अनुच्छेद - 214 : उच्च न्यायालय (H.C)

→ उच्च न्यायालय, 1935 के अधिनियम से लिया गया। प्रथम उच्च न्यायालय 1861 में कोलकाता, मुम्बई, मद्रास में।

→ उच्च न्यायालय में जज बनाने के लिए।

→ 5 वर्ष = जज

10 वर्ष = वकिल

अनुच्छेद - 226 : इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मुल अधिकार के रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है।

→ तलाक, विवाद, वसीयत, सांसद, विधायक का विवाद HC में जाता है।

अनुच्छेद - 233 :

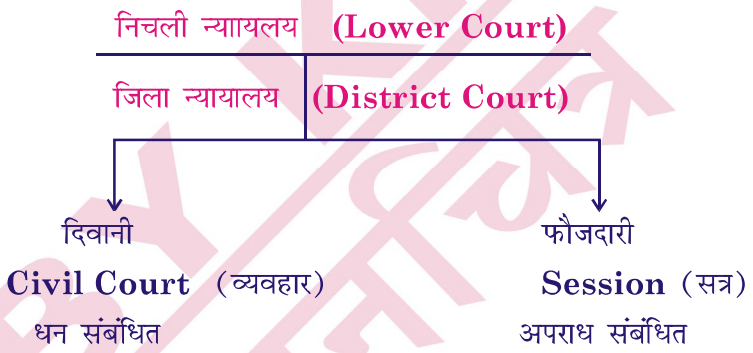

→ **परिवार न्यायालय** = परिवारिक विवाद

→ **लोक अदालत** = आपसी समझौता

भाग (8) संघ राज्य क्षेत्र

1. **दुरी के आधार पर** = अण्डमान निकोबार, लक्ष्यद्वीप
2. **छोटा होने के कारण** = दमनद्विप, दादरा नगर हवेली
3. **संस्कृति कारण** = पाण्डिचेरी
4. **विवाद का कारण** = चण्डिगढ़
5. **राष्ट्रीय महत्व** = J & K, लद्दाख Delhi

→ **1952 =** सामुदायिक विकास

→ **1953 =** राष्ट्रीय विस्तार सेवा

→ **1957 =** बलवन्त राय मेहता समिति (B.R.M.)

→ **9 Oct. 1959 =** नागौर (राजस्थान) में पंचायत

→ **1977 =** अशोक मेहता समिति (A.M.)

Note– B.R.M = 3 स्तरीय

Am = 2 स्तरीय ×

→ पंचायत से सम्बन्धित समितियां

→ त्रिस्तरीय पंचायत

(1) गांव – ग्राम पंचायत (प्रत्यक्ष/आधारित लोकतंत्र)

(2) Block – पंचायत समिति

(3) जिला-जिला पंचायत

→ सभी स्तरों पर SC/ST/Female का आरक्षण है।

→ Female का 1/3 आरक्षण है जबकि, बिहार में Female का आरक्षण ½ है।

→ जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यस्तरी (पंचायत समिति) नहीं होगा।

→ 73वां संशोधन 24 अप्रैल, 1995 से लागु।

→ न्यायपालिका = सरपंच-पंच

→ कार्यपालिका = मुखिया – Ward Member

→ Police = चौकिदार

→ राज्य सरकार = ग्राम सेवक, VDO, BDO, जिला विकास अधिकारी

→ जमिन का लेखा जोखा = पटवारी, लेखपाल, कानुनगो

→ जमीन की माप = अमीन

→ स्थायी स्वशासन चोल काल से प्रारम्भ था। रिपन ने स्थानीय स्वशासन को बल दिया। स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेन्द्रिकरण के लिए।

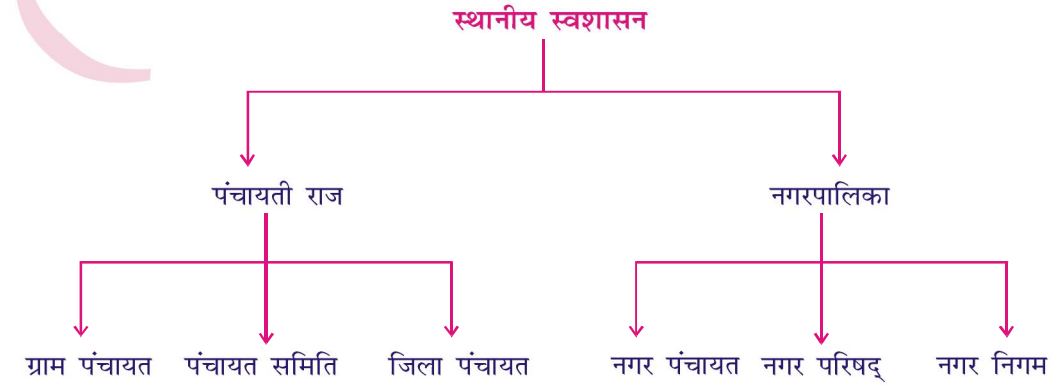

केन्द्र-राज्य के बीच वित्त सम्बन्ध

अनुच्छेद - 265 : बिना संसद में विधि बनाए कर (Tax) नहीं लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 266 : भारत की संचित निधि, देश का कुल धन

अनुच्छेद - 267 : भारत की आकस्मिक निधि, इसमें 500 करोड़ धन रहता है।

अनुच्छेद - 280 : वित्त आयोग/यह केन्द्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करता है। वर्त्तमान में राज्य को 42% Tax का आय मिलता है।

- → वित्त आयोग संवैधानिक पद है।
- → योजना आयोग = अध्यक्ष PM
- → एकता परिषद् = अध्यक्ष PM
- → अन्तर राज्यी परिषद् = अध्यक्ष PM
- → क्षेत्रीय परिषद = अध्यक्ष गृह मंत्री

अनुच्छेद - 315 : संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग

- → इसकी नियुक्ति PM के सलाह पर राष्ट्रपति
- → कार्यकाल 6 year या 65 year आयु
- → हटाने के लिए कदाचार के आधार पर SC में मुकदमा चलाकर
- → जब ये अपने पद से त्यागपत्र देते हें तो वे भारत में कोई भी दुसरा पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद - 324 : निर्वाचन आयोग

- → यह 3 सदस्यी है।
- → इसकी नियुक्ति PM की सलाह पर राष्ट्रपति
- → कार्यकाल 6 year या 65 year आयु
- → हटाने के लिए महाभियोग
- → जिला में निर्वाचन का सबसे बड़ा अधिकारी = DM
- → चुनाव समाप्त होने के 48 घंटा पहले या प्रारंभ होने के 36 घंटा के पहले चुनाव प्रचार रोक दी जाती है।

राष्ट्रीय दल के शर्त्त

(1) एक ही रज्य में लोक सभा की 2% सीट (11 सीट)

(2) तीन राज्यों में लोकसभा की 4 सीट

(3) भारत में कुल Vote का 6% Vote

Note– क्षेत्रीय पार्टी के लिए 8% Vote (विधान सभा का)

दल-बदल

- → इसे 52वाँ संशोधन 1985 (PM राजीव गांधी) में 10वीं अनुसुची में जोड़ा गया।

निम्न शर्त पर दल बदल लागू होगा

(1) Party बदल लेने पर।

(2) निर्दलीय सदस्य Party Join करने पर।

(3) Party से त्यागपत्र देने पर

(4) मतदान से अनुपस्थित रहने पर

(5) Party के निर्देश के विपरीत मतदान करने पर

निम्न शर्त पर दल-बदल लागु नहीं होगा

(1) गठबंधन होने पर

(2) Party निकाल दें।

(3) 1/3 सदस्य त्यागपत्र दे दें।

(4) 1/3 सदस्य दुसरी Party Join कर लें।

(5) दो Party की विलय हो जाए।

अनुच्छेद - 338 : SC आयोग (65वां 1990)

अनुच्छेद - 338 (क) : S.T. आयोग (89वां 2003)

अनुच्छेद - 340 : OBC / पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेकर मण्डल आयोग)

→ सबसे पुरानी जनजाति = जाखा (अण्डमान)

→ खतरनाक = सेण्टेलीज

→ सर्वाधिक SC = UP

→ सर्वाधिक ST = MP

→ सबसे बड़ी जनजाति = गोल्ड

→ दिवाली का शोक = थारू

→ मातृ सतात्मक = खासी नायर

भाग (17) राज भाषा

→ **राष्ट्रभाषा** — देश की सबसे लोकप्रिय भाषा Eg = Hindi

→ **राज्य भाषा** — राज्य कि सबसे लोकप्रिय भाषा Eg = अलग-अलग

→ **राजभाषा** = कार्यकारी / Official / Paper Work की भाषा

अनुच्छेद - 343 : संघ की राजभाषा Hindi होगी।

अनुच्छेद - 344 : राजभाषा आयोग (प्रथम राज भाषा आयोग के अध्यक्ष B. G. खेर थे)।

अनुच्छेद - 345 : **राज्य की राज भाषा**

Eg = (1) बिहार = Hindi, उर्दु

(2) J & K = उर्दु, Hindi

(3) उत्तराखण्ड = Hindi, संस्कृत

(4) नागा लैण्ड = English

अनुच्छेद - 350 (क) : प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में

Note–भारत की लीपि = देव नागरी

Classical / शास्त्रीय भाषा

→ 1500 BC पुरानी भाषा के शास्त्री भाषा।

→ शास्त्री भाषा के संख्या 6 है-

(i) कन्नड़ (ii) तेलगु (iii) तमिल (iv) मलयालम (v) उड़िया (vi) संस्कृत

→ 8वीं अनुसुची में 22 भाषा की चर्चा है।

→ प्रारम्भ में 14 भाषा थी।

→ 21वां संशोधन 1 (सिन्धी)

→ 71वां संशोधन 3 (नेपाली, मणिपुरी, कोकणी)

→ 92वां संशोधन 4 (बोडो, डेगरी, मैथिली, संस्थाली)

भाग-18

आपातकाल

अनुच्छेद 352-360

★ राष्ट्रीय एकता अखण्डता तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिए आपातकाल का प्रावधान है। आपात के दौरान संघीय व्यवस्था पर प्रतिकुल (Negative) प्रभाव पड़ता है।

★ हृदयनाथ कुंज ने आपातकाल को संविधान के साथ घोषणा कहा है। आपातकाल तीन प्रकार के होते हैं।

★ अनु॰-352 :- राष्ट्रीय आपात

★ यह युद्ध या शस्त्र विरोध के समय लाया जाता है। 44वां संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पर लाये जाने वाला प्रभाव समाप्त कर दिया गया।

★ इसे मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति लागु करते हैं।

★ संसद इसे 30 दिन के भीतर 2/3 बहुमत से पारित या अनुमोदित करती है।

★ मंत्रीमंउल के सलाह पर राष्ट्रपति आपात को वापस ले सकते हैं।

★ लोकसभा 14 दिन पुर्व सूचना देकर 1/10 मत से पारित करके आपातकाल को हटा सकती है।

अनु॰-353 :- राष्ट्रीय आपात का प्रभाव

1. अनु॰ 20, 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं।
2. विधान सभा निलंबित नहीं होती है।
3. संसद राजय सूची में कानुन बना सकता है।

★ अनु॰-354 :- राष्ट्रपति वित्तीय नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अत: राज्यों में दिया जाने वाला 42% धन में कटौति की जा सकती है।

★ अनु॰-355 :- बाह्यय आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह से राज्यों की रक्षा केन्द्र का कर्त्तव्य है।

★ अनु॰-356 :- राष्ट्रपति शासन

★ इसे मंत्रीमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति लागु करते हैं तथा 60 दिन के भीतर संसद को साधारण बहुमत 1/2 से पारित या अनुमोदित करना होता है।

★ अनु॰-357 :- राष्ट्रपति शासन का प्रभाव

1. विधानसभा निलंबित हो जाती है।
2. मूल अधिकार निलंबित नहीं होता है।
3. राजय का बजट संसद में प्रस्तुत होने लगता है।

★ अनु॰–358 :– राष्ट्रीय आपात (352) के समय अनु॰–19 की सभी स्वतंत्रताएं स्वत: निलंबित हो जाती है।

★ अनु॰–359 :– राष्ट्रीय आपात (352) के समय अनु॰–20 & 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं।

★ अनु॰–360 :– वित्तीय आपात

★ इसे मंत्रीमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति लाते हैं तथा 60 दिनों के भीतर संसद साधारण बहुमत (1/2) से अनुमोदित या पारित करती है।

★ वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों के वेतन काट लिए जाते हैं। यह अब तक लागू नहीं हुआ है।

Remark :– (i) राष्ट्रीय आपात को 6–6 महिने के अनुमोदन के बाद अनंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) राष्ट्रपति शासन को 6–6 महिने अनुमोदन करके '3' साल तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) वित्तीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदन के बाद तब तक लागू रहता है, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता।

(iv) राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन जर्मनी से जबकि वित्तीय आपात USA से लिया गया है।

(v) 42वां संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात का दुरूपयोग किया। जबकि 44वां संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई ने इस दुरूपयोग को समाप्त किया।

भाग-20

संशोधन (द॰ अफ्रीका)

★ अनु॰–363 :– संशोधन की प्रक्रिया द॰ अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। यदि एक सदन ने इसको पारित कर दिया तथा दूसरा सदन संशोधन को पारित नहीं किया तो संशोधन विधेयक शब्द हो जाएगा।

★ संविधान सभा में अम्बेडकर जी ने कहा था हमने भारतीय संविधान को इंग्लैण्ड के समान लचीला नहीं बनाया है और न ही USA के समान कठोर बनाया है। जो ीाी व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है। वह इसमें संशोधन कर सकता है इसके लिए उसे बहुमत की आवश्यकता है।

★ संशोधन तीन प्रकार से हो सकते हैं–

1. **साधारण बहुमत :–** इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। यह संशोधन न होकर एक मामूली सुधार है। अत: इसे अनु॰ 368 के बाहर रखा गया है।

★ इस विधि द्वारा निम्नलिखित संशोधन होते हैं–

e.g. वेतन में वृद्धि, विदेशी राज्य का भारत में विलय (अनु॰–2), वर्तमान राज्य में परिवर्तन (अनु॰ 3), विधान परिषद का सृजन (अनु॰–169) अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर है।

2. **विशेष बहुमत :–** इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है।

   e.g. मूल अधिकार भाग–III, नीति निदेशक तत्व भाग–4 में संशोधन।

3. **विशेष बहुमत + आधी से अधिक राज्य की सहमति :–**

★ यह संशोधन की सबसे कठोर विधि है। इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए केन्द्र को विशेष बहुमत से तथा आधे से अधिक राज्यों को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इस विधि द्वारा वैसे विषयों में संशोधन किया जाता है। जिससे राज्यों का हित जुड़ा हो। अर्थात् यह विधि संघीय ढाँचा बनाये रखने के लिए है।

e.g (i) विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में संशोधन

(ii) समवर्ती सूची, राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रणाली, राज्यों पर लगने वाला Tax (GST)

(iii) संशोधन प्रक्रिया में नई विधि को जोड़ना या वर्तमान विधि को हटाना इसी विधि द्वारा होगा।

Remark :– राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है जबकि संशोधन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है।

मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय

1. **शंकरी प्रसाद विवाद :-** इसमें Suprime Court ने कहा कि संसद मूल अधिकार (भाग-III) के साथ-साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है।
2. **सज्जन सिंह विवाद :**-शंकरी प्रसाद विवाद को same
3. **गोलक नाथ विवाद :-** इसमें ग्यारह जज थे यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें Suprime Court ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है।
4. **केशवानन्द भारती :**-इसमें 13 जज थे। यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है किन्तु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए।

   e.g. - 39वां संशोधन 1975 में यह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा P.M. के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। किन्तु इसे Suprime court ने मूल ढांचा के विपरित बातकर रद्द कर दिया। (उस समय PM इंदिरा गांधी थी)
5. **मिनरमा मील :**-इसमें Suprime Court ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है।

   e.g. - 42वां संशोधन 1975 में यह कहा गया कि संसद को संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है किन्तु Suprime Court ने मिनरमा मील का हवाला देकर रद्द कर दिया।

Remark :– किसी संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज होना चाहिए।

★ केशवानंद में 13 जज तथा गोलक नाथ में 11 जज थे।

संविधान संशोधन

→ प्रथम संशोधन (1951) – भुमि सुधार।

→ **7वां (1956)** – भाषायी आधार पर राज्य पुनर्गठन।

→ **36वां (1975)** – सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।

→ **42वां (1976)** – इसके द्वारा अपात का दुरूपयोग हुआ।

→ राष्ट्रपति का मंत्री-मण्डल की सलाह मांगने पर वाद।

→ अपात, PM की सलाह पर।

→ प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिपेक्ष, एकता।

→ 10 मौलिक कर्त्तव्य

→ यह स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया।

→ लोकसभा 6 वर्ष

→ **44वां (1978)** – सम्पत्ति के अधिकार को कानुनी।

→ राष्ट्रपति को पुर्नविचार का मौका।

→ आपात, मंत्री-मण्डल की सलहा पर।

→ लोक सभा को 5 वर्ष

→ **52वां (1985)** – दल-बदल

- → **61वां (1989)** – मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष
- → **65वां (1990)** – SC आयोग
- → **69वां (1991)** – दिल्ली पांण्डिचेरी में विधानसभा
- → **70वां (1992)** – दिल्ली-पाण्डिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल।
- → **89वां (2003)** – ST आयोग
- → **91वां (2003)** – मंत्री परिषद् का आकार लोक सभा की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा।
- → **101वां (2016)** – G.S.T.
- → **23वां** – O.B.C.
- → **24वां** – GR. को 10% आरक्षण
- → **1773 का रेग्युलेटिंग Act.** – कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय
- → **1784 का पिट्स Indian Act** – भारत में द्वैध शासन - (i) Board of Direction (निदेशक) व्यापार और (ii) Board of Controlon (नियंत्रक) राजनिती
- → **1813 का अधिनियम** - भारतीय चाय तथा चीन देश से व्यापार को छोड़कर कम्पनी का एकाधिकार समाप्त, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया।
- → **1833 का अधिनियम** - एकाधिकार समाप्त, विधि सदस्य
- → **1858 का अधिनियम** - कम्पनी समाप्त, भारत का शासन इंग्लैंड के राजा के पास वायसराय का पद द्वैध शासन समाप्त।
- → **1861 का अधिनियम** - विभागीय प्रणाली भारतीय दण्ड संहिता (IPC)
- → **1909 का अधिनियम** - Muslim को पृथक निर्वाचन क्षेत्र।
- → **1919 का अधिनियम** - राज्यों में द्वैध शासन। Female को मताधिकार शक्ति।
- → **1955 का अधिनियम** - राज्य का द्वैध शासन समाप्त
- → केन्द्र में द्वैध शासन
- → मजबुत संघ
- → प्रान्तीय चुनाव
- → **राष्ट्रीय ध्वज** - 22 July 1997 (l : b = 3 : 2)
- → **राष्ट्रीय गान** - 24 Jan 1950 (जन गण मन)
- → **राष्ट्रीय गीत** - 26 Jan 1950 (वन्दे मातरम्)
- → **राष्ट्रीय चिह्न** - 26 Jan 1950 (अशोक स्तंभ)
- → **राष्ट्रीय कैलेण्डर शक्संवत (कनिष्क)** - 78 ई॰ 22 March, 1957
- → **संविधान सभा** - इसका गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 में हुआ इसके कुल 389 सदस्य थी किन्तु स्वतंत्रता के समय 299 थे।
- → **अस्थायी अध्यक्ष** = सचिदानन्द सिन्हा
- → **स्थायी अध्यक्ष** = राजेन्द्र प्रसाद
- → **उद्देश्यसिका** = नेहरू
- → **प्रारूप** = अम्बेडकर
- → **झण्डा** = K. N. मुन्शी

- **सचिव** - B. N. राव
- **विधायिका** - कानुन बनाना (सांसद/विधायक)
- **कार्यपालिका** - कानुन लागु (मंत्री/अधिकारी)
- **न्यायपालिका** - दण्ड देना (जज)
- **Media** – सूचना उजागर
- **राजतंत्र** - राजा का शासन
- **सम्यवाद** - एक ही दल का शासन
- **तानाशाह** - सैनिकों का शासन
- **गणराज्य** - राष्ट्रीध्यक्ष (राष्ट्रपति) का अप्रत्यक्ष निर्वाचन
- **लोकतंत्र** - शासनाध्यक्ष (PM) का प्रत्यक्ष निर्वाचन

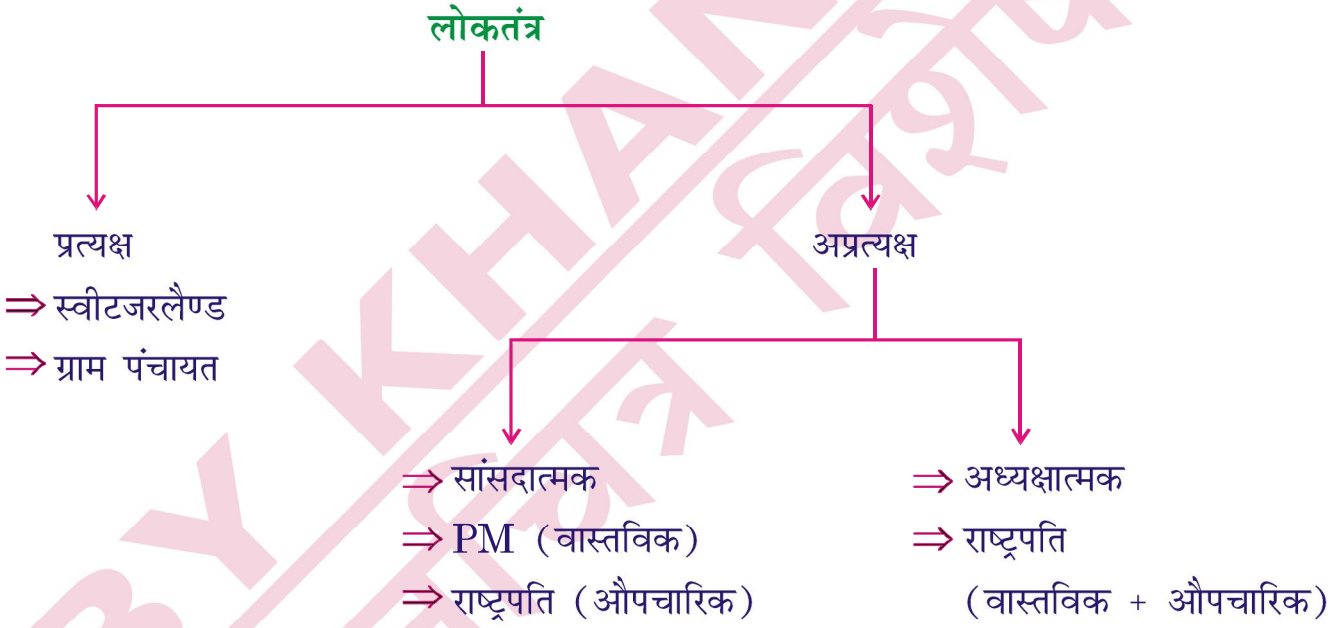

- **संघात्मक** - केन्द्र तथा राज्य दोनों (भारत अर्थ संघात्मक)
- **एकात्मक** - केवल केन्द्र (ब्रिटेन)

BY KHAN SIR

किसान कोल्ड स्टोरेज कैम्पस, पटना-6 Mob. : 8877918018, 8757354880

भाग 1
संघ और उसका राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद

1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
2-क. सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना।
3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
4. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ

भाग 2
नागरिकता

5. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
6. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
7. पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
9. विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
10. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
11. संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

भाग 3
मूल अधिकार

साधारण

12. परिभाषा
13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

समता का अधिकार

14. विधि के समक्ष समता
15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
17. अस्पृश्यता का अंत
18. उपाधियों का अंत

स्वातंत्र्य-अधिकार

19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
21-क. शिक्षा का अधिकार
22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

शोषण के विरुद्ध अधिकार

23. मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
24. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

25. अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
26. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
27. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
28. कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

29. अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार
31. संपत्ति का अनिवार्य अर्जन
31-क. संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
31-ख. कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

By : Khan Sir (भारतीय विरासत)

किसान कोल्ड स्टोरेज कैम्पस, पटना-6 Mob. : 8877918018, 8757354880

समता का अधिकार

14. विधि के समक्ष समता
15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
17. अस्पृश्यता का अंत
18. उपाधियों का अंत

स्वातंत्र्य-अधिकार

19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
21-क. शिक्षा का अधिकार
22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

शोषण के विरुद्ध अधिकार

23. मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
24. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

25. अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
26. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
27. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
28. कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

29. अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार
31. संपत्ति का अनिवार्य अर्जन
31-क. संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
31-ख. कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण
31-ग. कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
31-घ. राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
32-क. राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना
33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति
34. जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन
35. इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

भाग 4

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

36. परिभाषा
37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना
38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा
39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
39-क. समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता
40. ग्राम पंचायतों का संगठन
41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
43. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
43-क. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
43-ख. सहकारी समितियों की वृद्धि
44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
45. छह वर्ष से कम के बालकों के लिए बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा
46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

By : Khan Sir (भारतीय विरासत)

47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य

48. कृषि और पशुपालन का संगठन

48-क. पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

51. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

भाग 4-क
मूल कर्त्तव्य

51-क. मूल कर्त्तव्य

भाग 5
संघ
अध्याय 1
कार्यपालिका
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

52. भारत का राष्ट्रपति

53. संघ की कार्यपालिका शक्ति

54. राष्ट्रपति का निर्वाचन

55. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

56. राष्ट्रपति की पदावधि

57. पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

58. राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं

59. राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें

60. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

62. राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

63. भारत का उपराष्ट्रपति

64. उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना

65. राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन

66. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

67. उपराष्ट्रपति की पदावधि

68. उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

69. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

70. अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

71. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय

72. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति

73. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रि-परिषद्

74. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्

75. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

भारत का महान्यायवादी

76. भारत का महान्यायवादी

सरकारी कार्य का संचालन

77. भारत सरकार के कार्य का संचालन

78. राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य

अध्याय 2
संसद्
साधारण

79. संसद् का गठन

80. राज्य सभा की संरचना

81. लोक सभा की संरचना

82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुन: समायोजन

83. संसद् के सदनों की अवधि

84. संसद की सदस्यता के लिए अर्हता

85. संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

86. सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

87. राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण

88. सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

किसान कोल्ड स्टोरेज कैम्पस, पटना-6 Mob. : 8877918018, 8757354880

संसद के अधिकारी

89 राज्य सभा का सभापति और उपसभापति

90. उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

91. सभापति के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति

92. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

93. लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

94. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना

95. अध्यक्ष के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

96. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

97. सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

98. संसद का सचिवालय

कार्य संचालन

99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

100. सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरहर्ताएं

101. स्थानों का रिक्त होना

102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं

103. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

104. अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

105. संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि

106. सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया

107. विधेयकों के पुर: स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध

अनुच्छेद

108. कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

109. धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

110. ''धन विधेयक'' की परिभाषा

111. विधेयकों पर अनुमति

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

112. वार्षिक वित्तीय विवरण

113. संसद् में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

114. विनियोग विधेयक

115. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

116. लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान

117. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया

118. प्रक्रिया के नियम

119. संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

121. संसद् में चर्चा पर निर्बंधन

122. न्यायालयों द्वारा संसद् की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 3

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

123. संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अध्याय 4

संघ की न्यायपालिका

124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

125. न्यायाधीशों के वेतन आदि

126. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

127. तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

128. उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

129. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

130. उच्चतम न्यायालय का स्थान

131. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता

131-क. केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता।

By : Khan Sir (भारतीय विरासत)

अनुच्छेद

132. कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
133. उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
134. दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
134-क. उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण-पत्र
135. विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना
136. अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
137. निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
138. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
139. कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना
139-क. कुछ मामलों का अंतरण
140. उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां
141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना
142. उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
143. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
144. सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना
144-क. विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध
145. न्यायालय के नियम आदि
146. उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
147. निर्वचन

अध्याय 5
भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

148. भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
149. नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य और शक्तियाँ
150. संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप
151. संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग 6
राज्य
अध्याय 1
साधारण

152. परिभाषा

अनुच्छेद

अध्याय 2
कार्यपालिका
राज्यपाल

153. राज्यों के राज्यपाल
154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति
155. राज्यपाल की नियुक्ति
156. राज्यपाल की पदावधि
157. राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं
158. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
159. राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
160. कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
161. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
162. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रि-परिषद

163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्
164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

राज्य का महाधिवक्ता

165. राज्य का महाधिवक्ता

सरकारी कार्य का संचालन

166. राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
167. राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य

अध्याय 3
राज्य का विधान-मंडल
साधारण

168. राज्यों के विधान-मंडलों का गठन
169. राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
170. विधान सभाओं की संरचना
171. विधान परिषदों की संरचना
172. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि
173. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
174. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
175. सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
176. राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

किसान कोल्ड स्टोरेज कैम्पस, पटना-6 Mob. : 8877918018, 8757354880

अनुच्छेद

177. सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार.....

राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी

178. विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष.....
179. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना.....
180. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति.....
181. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना.....
182. विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति.....
183. सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना.....
184. सभापति के पद के कर्त्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति.....
185. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना.....
186. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते.....
187. राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय.....

कार्य संचालन

188. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.....
189. सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति.....

सदस्यों की निरर्हताएं

190. स्थानों का रिक्त होना.....
191. सदस्यता के लिए निरर्हताएं.....
192. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय.....
193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति.....

राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार

194. विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि.....
195. सदस्यों के वेतन और भत्ते.....

अनुच्छेद

विधायी प्रक्रिया

196. विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध.....
197. धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन.....
198. धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया.....
199. ''धन विधेयक'' की परिभाषा.....
200. विधेयकों पर अनुमति.....
201. विचार के लिए आरक्षित विधेयक.....

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

202. वार्षिक वित्तीय विवरण.....
203. विधान-मंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया.....
204. विनियोग विधेयक.....
205. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान.....
206. लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान.....
207. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध.....

साधारणतया प्रक्रिया

208. प्रक्रिया के नियम.....
209. राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन.....
210. विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा.....
211. विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन.....
212. न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना.....

अध्याय 4

राज्यपाल की विधायी शक्ति

213. विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति.....

अध्याय 5

राज्यों के उच्च न्यायालय

214. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय.....
215. उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना.....
216. उच्च न्यायालयों का गठन.....
217. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें.....
218. उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना.....

By : Khan Sir (भारतीय विरासत)

किसान कोल्ड स्टोरेज कैम्पस, पटना-6 Mob. : 8877918018, 8757354880

अनुच्छेद

219. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
220. स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन
221. न्यायाधीशों के वेतन आदि
222. किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण
223. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
224. अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
224-क. उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
225. विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
226. कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
226-क. अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता पर विचार न किया जाना
227. सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
228. कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण
228-क. राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध
229. उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
230. उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार
231. दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायलय की स्थापना
232. [निरसित]

अध्याय 6
अधीनस्थ न्यायालय

233. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
233-क. कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
234. न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
235. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
236. निर्वचन
237. कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना

भाग 7
पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य

238. [निरसित]

By : Khan Sir (भारतीय विरासत)

अनुच्छेद

भाग 8
संघ राज्यक्षेत्र

239. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन
239-क. कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन
239-कक. दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
239-कख. सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
239-ख. विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति
240. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
241. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
242. कोड़गू

भाग 9
पंचायत

243. परिभाषाएं
243-क. ग्राम सभा
243-ख. पंचायतों का गठन
243-ग. पंचायतों की संरचना
243-घ. स्थानों का आरक्षण
243-ङ. पंचायतों की अवधि, आदि
243-च. सदस्यता के लिए निरर्हताएं
243-छ. पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
243-ज. पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां
243-झ. वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन
243-ञ. पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
243-ट. पंचायतों के लिए निर्वाचन
243-ठ. संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना
243-ड. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
243-ढ. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
243-ण. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग 9-क
नगरपालिकाएं

243-त. परिभाषाएं
243-थ. नगरपालिकाओं का गठन

किसान कोल्ड स्टोरेज कैम्पस, पटना-6 Mob. : 8877918018, 8757354880

अनुच्छेद

243-द. नगरपालिकाओं की संरचना
243-ध. वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना
243-न. स्थानों का आरक्षण
243-प. नगरपालिकाओं की अवधि, आदि
243-फ. सदस्यता के लिए निरर्हताएं
243-ब. नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
243-भ. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां
243-म. वित्त आयोग
243-य. नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
243-यक. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
243-यख. संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना
243-यग. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
243-यघ. जिला योजना के लिए समिति
243-यङ. महानगर योजना के लिए समिति
243-यच. विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
243-यछ. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग 9-ख
सहकारी सोसाइटियाँ

243-यज. परिभाषाएँ
243-यझ. सहकारी सोसाइटियों का निगमन
243-यञ. मण्डल तथा इसके पदधारकों की संख्या तथा पदावधि
243-यट. मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन
243-यठ. मण्डल का अधिक्रमण एवं निलम्बन तथा अन्तरिम प्रबन्ध
243-यड. सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं का अंकेक्षण
243-यढ़. शासी निकाय की बैठकों का आयोजन करना
243-यण. सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार
243-यत. विवरणियाँ
243-यथ. अपराध एवं दण्ड
243-यद. बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियों के लिए अनुप्रयोग
243-यध. संघ शासित क्षेत्रों के लिए अनुप्रयोग
243-यन. विद्यमान विधियों की सततता

भाग 10
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

244. अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

अनुच्छेद

244क. असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद् का या दोनों का सृजन

भाग 11
संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय 1
विधायी संबंध
विधायी शक्तियों का वितरण

245. संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
246. संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु
247. कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद् की शक्ति
248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां
249. राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति
250. यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति
251. संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
252. दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना
253. अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
254. संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
255. सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के

अध्याय 2
प्रशासनिक संबंध
साधारण

256. राज्यों की और संघ की बाध्यता
257. कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
257-क. संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता

By : Khan Sir (भारतीय विरासत)

अनुच्छेद

258. कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति

258-क. संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

259. पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल

260. भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता

261. सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां

जल संबंधी विवाद

262. अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन

राज्यों के बीच समन्वय

263. अंतरराज्य परिषद् के संबंध में उपबंध

भाग 12
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद
अध्याय 1
वित्त
साधारण

264. निर्वचन

265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना

266. भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे

267. आकस्मिकता निधि

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण

268. संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क

268-क. सेवा कर, जिसे संघ द्वारा उद्गृहीत किया जायेगा और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहीत और संविभाजित किया जायेगा

269. संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

270. उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण

271. कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

272. [***]

273. जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान

अनुच्छेद

274. ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा

275. कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

276. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर

277. व्यावृत्ति

278. कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार

279. ''शुद्ध आगम'' आदि की गणना

280. वित्त आयोग

281. वित्त आयोग की सिफारिशें

प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध

282. संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले तथ्य

283. संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि

284. लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्त्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा

285. संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट

286. माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन

287. विद्युत पर करों से छूट

288. जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट

289. राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट

290. कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन

290क. कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय

291. शासकों की निजी थैली की राशि

अध्याय 2
उधार लेना

292. भारत सरकार द्वारा उधार लेना

293. राज्यों द्वारा उधार लेना

अध्याय 3
संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद

294. कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

अनुच्छेद

295. अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

296. राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति

297. राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना

298. व्यापार करने आदि की शक्ति

299. संविदाएं

300. वाद और कार्यवाहियां

अध्याय 4
संपत्ति का अधिकार

300-क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना

भाग 13
भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

301. व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

302. व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद् की शक्ति

303. व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन

304. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन

305. विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

306. पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण की शक्ति

307. अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

भाग 14
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
अध्याय 1
सेवाएं

308. निर्वचन

309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें

310. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

अनुच्छेद

311. संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना

312. अखिल भारतीय सेवाएं

312-क. कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति

313. संक्रमणकालीन उपबंध

314. कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध

अध्याय 2
लोक सेवा आयोग

315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

316. सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि

317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना

318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

319. आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध

320. लोक सेवा आयोगों के कृत्य

321. लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

322. लोक सेवा आयोगों के व्यय

323. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

भाग 14-क
अधिकरण

323-क. प्रशासनिक अधिकरण

323-ख. अन्य विषयों के लिए अधिकरण

भाग 15
निर्वाचन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना

325. धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना

326. लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना

अनुच्छेद

327. विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति.........

328. किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति.........

329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन.........

329-क. प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद् के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध.........

भाग 16
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

330. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण.........

331. लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.........

332. राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण.........

333. राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.........

334. स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात् न रहना.........

335. सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे.........

336. कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध.........

337. आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध.........

338. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग.........

338-क. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग.........

339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण.........

340. पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति.........

341. अनुसूचित जातियां.........

342. अनुसूचित जनजातियां.........

भाग 17
राजभाषा
अध्याय 1
संघ की भाषा

343. संघ की राजभाषा.........

अनुच्छेद

344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति.........

अध्याय 2
प्रादेशिक भाषाएं

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं.........

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा.........

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध.........

अध्याय 3
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा.........

349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया.........

अध्याय 4
विशेष निदेश

350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा.........

350-क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं.........

350-ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी.........

351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश.........

भाग 18
आपात उपबंध

352. आपात की उद्घोषणा.........

353. आपात की उद्घोषणा का प्रभाव.........

354. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना.........

355. बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य.........

356. राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध.........

357. अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग.........

358. आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन.........

359. आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन.........

किसान कोल्ड स्टोरेज कैम्पस, पटना-6 Mob. : 8877918018, 8757354880

अनुच्छेद

359-क. इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना.....

360. वित्तीय आपात के बारे में उपबंध.....

भाग 19

प्रकीर्ण

361. राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण.....

361-क. संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण.....

361-ख. लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता.....

362. देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार.....

363. कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन.....

363-क. देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत.....

364. महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध.....

365. संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव.....

366. परिभाषाएं.....

367. निर्वचन.....

भाग 20

संविधान का संशोधन

368. संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया.....

भाग 21

अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध

369. राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों.....

370. जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध.....

371. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध.....

371-क. नागालैण्ड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.....

371-ख. असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.....

371-ग. मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.....

371-घ. आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.....

अनुच्छेद

371-ङ. आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना.....

371-च. सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.....

371-छ. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.....

371-ज. अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.....

371-झ. गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.....

372. विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन.....

372-क. विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति.....

373. निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति.....

374. फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध.....

375. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना.....

376. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध.....

377. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध.....

378. लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध.....

378-क. आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध.....

379-391. .....

392. कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति.....

भाग 22

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

393. संक्षिप्त नाम.....

394. प्रारंभ.....

394-क. हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....

395. निरसन.....

By : Khan Sir (भारतीय विरासत)